



राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण



एनएफआरए ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड (आईटीएनएल) के सांविधिक ऑडिट की ऑडिट क्वालिटी रीव्यू (एक्यूआर) रिपोर्ट जारी की

Posted On: 23 SEP 2021 6:23PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) के सांविधिक ऑडिट की ऑडिट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर) रिपोर्ट जारी की है।

इसके लिए वैधानिक ऑडिटर एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स थे।

इस एक्यूआर का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 और एनएफआरए नियम, 2018 की धारा 132 (2) (बी) के तहत किया गया। इसमें एनएफआरए को अन्य बातों के साथ-साथ भारत में लेखा मानकों और ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन पर गौर करने की आवश्यकता होती है।


रिपोर्ट में एनएफआरए के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- i. आईटीएनएल के सांविधिक ऑडिटर के रूप में एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी की प्रारंभिक नियुक्ति और एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी को बरकरार रखना प्रथम दृष्टया अवैध और निरर्थक था।
- ii. ऑडिट फर्म प्रबंधन द्वारा लेखांकन संबंधी चिंताओं का उचित और पर्याप्त रूप से मूल्यांकन करने में विफल रही। इस प्रकार वह ऑडिटर रिपोर्ट में इसके निहितार्थों का उल्लेख करने में विफल रही।
- iii. आईटीएनएल का अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में 3,346 करोड़ रुपये के वित्तीय निवेश को उपयुक्त लेखा मानकों के तहत उचित तौर पर मूल्यांकन नहीं किया गया।
- iv. एसपीवी को दिए गए ऋण और व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (ईसीएल) के अनुचित उलटफेर और हानि के गलत मूल्यांकन के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के घाटे को कम से कम 2021 करोड़ रुपये कम करने बताया गया। इसमें 2,654 करोड़ रुपये की रकम के लिए सुविधा पत्र के गलत उपचार के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय गारंटी के रूप में माना जाना चाहिए था। लाभ/ हानि पर उसके प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।



v. ऑडिट फर्म का ईक्यूसी साझेदार वित्तीय विवरण में शामिल करने के लिए ज्ञात गलत विवरण की रिपोर्ट करने में विफल रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी पेशेवर दायरे में एंगेजमेंट टीम के महत्वपूर्ण निर्णयों और उनके निष्कर्ष का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित परिश्रम नहीं किया।

vi. ऑडिट फर्म एसए 230 के तहत दस्तावेजों को बरकरार रखने में विफल रही। एक्यूआरआर में कई जगहों पर की गई छेड़छाड़ एवं विसंगति के कारण ऑडिट फाइल की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है।

 न्यूआर रिपोर्ट निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:

<https://nfra.gov.in/sites/default/files/AQRR%20ITNL.pdf>

एमजी/एम/एसकेसी

(Release ID: 1757917) Visitor Counter : 96

Read this release in: Telugu , English

